न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 80/2021
शिशुपाल पुत्र श्री रामदेवाराम, जाति जाट, उम्र 67 वर्ष, निवासी कसेरू, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रामदेवाराम, उम्र 58 वर्ष
2. प्रभूदयाल पुत्र रामदवाराम, उम्र 52 वर्ष
   जाति जाट, निवासीगण कसेरू, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राज.।
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राज.।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.06.2016 व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1002 दिनांक 23.06.2016 तहसीलदार नवलगढ को मंसुख करवाने व पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन करने बाबत।

––

1. श्री रोताश कुमार कुलहरी, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री उम्मेद सिंह भाम्बू, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 3) की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पो0 सं0 2 व 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 23.05.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार नवलगढ के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.06.2016 व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1002 दिनांक 23.06.2016 भूमि ग्राम कसेरू के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से निम्न प्रकार श्रीमानजी की सेवामें पेश है कि वाके ग्राम कसेरू पट[illegible]गढ जिला झुंझुनू राज0 की सरहद में भूमि खाता संख्या 215 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.02 हैक्टर [illegible] वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टर है। उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 के पिता स्वर्गीय रामदेवाराम की खरीदशुदा भूमि है जो आ[illegible] के नजदीक है और उ[illegible] के नाम से भी जाना जाता है। उक्त खेडे में स्व0 रामदेवाराम ने 1971 में वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्से में ''बी'' मार्क से दर्शित स्थान पर मकानात बना लिये थे। उक्त भूमि को अपील में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। रामदेवाराम के जीवन काल में ही करीब 25–26 वर्ष पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो गया था (रामदेवारम की दोनो पुत्रियां विमला व परमेश्वरी ने मौखिक हकत्याग व दिनांक 23.03.2021 को दोनो बहनों ने अपने तीनो भाईयो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग भी कर दिया है।) बाद विभाजन अपीलान्ट के हिस्से में वादग्रस्त भूमि का पश्चिमी 1/3 हिस्सा भोमियाजी के मन्दिर को छोडकर व अपील के साथ सलंग्न नजरी नक्से में ''सी'' स्थान की भूमि आई, जिसके पूर्व में सटकर 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हिस्से में (नजरी नक्से में ''सी'' स्थान की भूमि को छोडकर) आया, उसके पूर्व में सटकर 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के हिस्से में आया है। इसी अनुसार काश्त व काबिज है जो सलंग्न नक्शे में दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शे में ''ए'' स्थान से दर्शित मकान रेस्पोडेन्ट नं0 02 प्रभू का, ''बी'' स्थान से दर्शित मकान जो स्व0 रामदेवाराम ने बनाये थे जो आपसी बंटवारे में रेस्पोडेन्ट नं0 1 के सरकारी सेवा में नही होने के कारण उक्त मकान रेस्पोडेन्ट नं0 1 अपीलान्ट व अनावेदक नं0 2 को 20,000–20,000/– रूपये अदा करेगा, हालांकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त राशि आज दिनांक तक भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 को अदा नही की है। ''सी'' स्थान से दर्शित मकान अपीलान्ट का है जो अपीलान्ट ने अपने स्वयं के खर्चे से बनवाये है तथा ''डी'' स्थान पर भी सन् 2001 में अपीलान्ट ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है और उस पर भी अपीलान्ट परिवार सहित आबाद है। उसी प्रकार ''ई'' स्थान पर भोमियाजी महाराज का मन्दिर बना हुआ है व संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित 8 फीट चौड़ा रास्ता जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मकानो तक जाता है तथा इसी रास्ते से 4 फीट चौडी पगडण्डी पश्चिम की ओर भोमियाजी महाराज के मन्दिर तक जाती है जिसे अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 इसी अनुसार अपने–अपने मकानात बनाकर काबिज व आबाद है तथा अपने–अपने विद्युत व पानी कनेक्शन ले रखे है तथा मुकुन्दगढ से कसेरू जाने वाली सडक से अपने–अपने मकानो तक 8 फीट चौडा रस्ता आपसी सहमति से कायम कर रखा है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के मकानो तक आने–जाने का यही एकमात्र रास्ता है और भोमियाजी महाराज के मन्दिर तक आने–जाने के लिये यही पगडण्डी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 सहित समस्त ग्रामवासी इसी पगडण्डी का उपयोग उपभोग करते है। इस बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के मध्य आपस में लिखित बंटवारा भी हो चुका हैं जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 व 2 के हस्ताक्षर है जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्टोपल है। संलग्न नजरी नक्शा अपील का अभिन्न अंग है, जिसे अपील के साथ पढा जावे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का सीधा–साधा व्यक्ति है तथा भारतीय सेना से सेवानिवृत कर्मचारी है तथा अपीलान्ट ने अपने स्वयं के धन से आपसी बंटवारा व लिखा पढी के अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि पर मकानात का निर्माण करवाकर अपने परिवार सहित आबाद है तथा अपीलान्ट के हिस्से में आई पश्चिम दिशा की भूमि पर भी मकानात बनाकर आबाद है तथा अपने नाम से विद्युत व पानी का सम्बन्ध ले रखा है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता स्व0 रामदेवाराम की खरीदशुदा उपरोक्त भूमि का प्रशासन गाव के संग अभियान के तहत दिनांक 23.06.2016 को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया गया जिसमें राजस्व कर्मचारियो व हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से बिना मौके की जांच किये व उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुए अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा कर खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 काबिज है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 के हिस्से में दर्ज कर दी, जबकि उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का पुश्तैनी मकान जो उसके हिस्से में आया है और उसमें वह परिवार सहित आबाद है तथा उक्त पुश्तैनी मकान के पश्चिम दिशा में पशुओं के लिये बाडा बना रखा है। अपील के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में ''सी'' मार्क से दर्शित स्थान जिस पर अपीलान्ट अपने पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हिस्से में दर्ज कर दी। इस गलत विभाजन व [illegible] रिकॉर्ड में [illegible] होने व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने से अपीलान्ट के हक व अधिकारो पर क्लाउड आ गया है। [illegible] को उक्त विभाजन प्रस्ताव के समय राजस्व कर्मचारियो व श्रीमान तहसील[illegible] था कि आपकी मौके की स्थिति अनुसार ही जांच कर अलग–अ[illegible] भूमि हिस्से अ[illegible] आपके खाते में दर्ज कर रहे है आप केवल कागजात पर हस्ताक्षर कर दो [illegible] देगे, अपीलान्ट राजस्व कर्मचारियो व श्रीमान तहसीलदार साहब के आश्वासन के [illegible] बिना देखे ही कागजो पर हस्ताक्षर कर दिये और उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.06.2016 के अनुसार दिनांक 23.06.2016 को नामान्तरण संख्या 1002 दर्ज किया गया है, जो बिना मौके की जांच व अपीलान्ट के बने पुख्ता मकानात को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि मे दर्ज कर दिया गया है व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के हिस्से में मकानात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हिस्से की जमीन में दर्ज कर दिये है जिस कारण अपीलान्ट के हक अधिकारो पर क्लाउड आ गये हैं इस कारण उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश करनी आवश्यक हुई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के नाम से विभाजन में संलग्न नक्शे में दर्शित भूमि दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

की नियत में फर्क आ गया है और वह आवेदक को उसके पुख्ता मकानात से महरूम करना चाहते है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलान्ट को एलानियां धमकी दे रहा है कि तुम्हे पुख्ता मकानात के हिस्से की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम से दर्ज हो चुकी है, इसलिए मै तुम्हे उक्त मकानो में आबाद नही रहने दूंगा, उक्त मकानो में तोड–फोड़ करूंगा व तुम्हे उक्त मकान से बेदखल करूंगा व वादी को उसके मकानो से भोमियाजी के मन्दिर तक आने–जाने की चार फीट चौडी पगडण्डी से आने–जाने नही दूंगा व रेस्पोडेन्ट नं0 2 ऐलानिया धमकी दे रहा है कि तुम्हारे मकानों में आने–जाने का रास्ता मेरे हिस्से की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, मै तुम्हे इस रास्ते से आने–जाने नही दूंगा, रास्ते को बन्द कर दूंगा, जिसका रेस्पोडेन्टगण को कोई हक व अधिकार नही है। यदि रेस्पोडेन्टगण अपनी उक्त नाजायज मंशा में सफल हो जायेगे तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में सम्भव नही होगा, इस कारण उक्त अपील पेश करनी आवश्यक हुई है। रेस्पोडेन्टगण झगडालू व बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है तथा वह गैरकानूनी तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलान्ट को उसके स्वामित्व के पुख्ता मकानात से बेदखल करने व अनीलान्ट को मकानो व भोमियाजी के मन्दिर में आने–जाने के रास्ते को बन्द करने को आमादा है यद्यपि रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को उसके मकानों से बेदखल करने व अपीलान्ट को उसके माकनों व भोमियाजी के मन्दिर में आने–जाने रास्ते को बन्द करने को आमादा है यद्यपि रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को उसके मकानो से बेदखल करने व अपीलान्ट को उसके मकानो व भोमियाजी के मन्दिर में आने जाने वाले रास्ते को बन्द करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है परन्तु वह अपनी इस नाजायज कार्यवाही कर अपीलान्ट को उसके मकानो से बेदखल कर देगें व अपीलान्ट को उक्त मकानो व भोमियाजी के मन्दिर तक आने–जाने वाले रास्ते को बन्द करने की इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो अपीलान्ट को अपार क्षति व नुकसान होगा अपीलान्ट मकान व रास्ते का उपयोग उपभोग नही कर सकेगा जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा अपीलान्ट को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फंसना होगा, जिसमें समय धन की बर्बादी होगी ऐसी हालत में रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जाना निहायत ही जरूरी है कि वह गलत राजस्व इन्द्राज में इन्द्राज होने से अपीलान्ट को उसके मकानो से बेदखल नही करे, मकानो में किसी प्रकार की तोड़–फोड़ नही करे व अपीलान्ट को उसके मकानो में आने–जाने के रास्ते व भोमियाजी के मन्दिर तक आने–जाने के रास्ते को बन्द नही करे, उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति या किसी रिश्तेदार, नौकर–चाकर आदि से करवाये। अपीलान्ट के साथ पेश नजरी नक्शे में ''सी'' स्थान से दर्शित अपीलान्ट के पुख्ता मकानो के उपयोग–उपभोग करने में व लाल रंग से दर्शित रास्ते की भूमि में अतिक्रमण व निर्माण कार्य नही करने के लिए रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जावे ऐसी हालत में अपीलान्ट कें लिये यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का सीधा–साधा व्यक्ति है तथा भारतीय सेना से सेवानिवृत कर्मचारी है अपीलान्ट को उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नही थी, लेकिन रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट को एलानिया धमकी दिनांक 25.09.2021 को देने पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई, जिससे अपीलान्ट तुरन्त ही उक्त अपील श्रीमान की सेवामें पेश कर रहा है। उक्त अपील के लिये वादाधिकार दिनांक 23.06.2016 को वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत गलत रूप से विभाजन व नक्शा ट्रेस में नामान्तरकरण संख्या 1002 दिनांक 23.06.2016 को इन्द्राज करने व रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन अपीलान्ट को उसके पुख्ता मकानात तोडने व रास्ते को बन्द करने की धमकी देने के रोज व राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 21.10.21 को प्राप्त करने के रोज व इस प्रकार की अपील के लिये [illegible] ही वादकारण पैदा होता रहता है के रोज हुआ और अदालत बाला को हक समायत [illegible] । अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर उक्त विभाजन संख्या 10[illegible] हुआ है को मंसुख किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को आदेश दिया जावे कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुझुनू राज0 की सरहद में भूमि [illegible] के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टर खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.02 हैक्टर स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टर का दिनांक 23.06.2016 को किया गया विभाजन मंसुख किया जाकर, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के कब्जे व रिहायस के अनुसार पुनः हल्का पटवारी व कर्मचारियो से मौके की जांच कर कब्जे में कम से कम दखल देवे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम भरा जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0 की सरहद में भूमि खाता संख्या 215 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.02 हैक्टर स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टर है। जिसका रामदेवाराम के जीवन काल में ही करीब 25–26 वर्ष पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो गया था (रामदेवारम की दोनो पुत्रियां विमला व परमेश्वरी ने मौखिक हकत्याग व दिनांक 23.03.2021 को दोनो बहनों ने अपने तीनो भाईयो के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग भी कर दिया है।) अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता स्व0 रामदेवाराम की खरीदशुदा उपरोक्त भूमि का प्रशासन गाव के संग अभियान के तहत दिनांक 23.06.2016 को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया गया जिसमें राजस्व कर्मचारियो व हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से बिना मौके की जांच किये व उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुए अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा कर खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 काबिज है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 के हिस्से में दर्ज कर दी, जबकि उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का पुश्तैनी मकान जो उसके हिस्से में आया है और उसमें वह परिवार सहित आबाद है तथा उक्त पुश्तैनी मकान के पश्चिम दिशा में पशुओं के लिये बाडा बना रखा है। अपील के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में "सी" मार्क से दर्शित स्थान जिस पर अपीलान्ट अपने पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हिस्से में दर्ज कर दी। इस गलत विभाजन व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने से अपीलान्ट के हक व अधिकारो पर क्लाउड आ गया है। अपीलान्ट को उक्त विभाजन प्रस्ताव के समय राजस्व कर्मचारियो व श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मौके की स्थिति अनुसार ही जांच कर अलग–अलग भूमि हिस्से अनुसार आपके खाते में दर्ज कर रहे है आप केवल कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, हम नक्शे में तरमीम बाद में कर देगे, अपीलान्ट राजस्व कर्मचारियो व श्रीमान तहसीलदार साहब के आश्वासन के कारण बिना देखे ही कागजो पर हस्ताक्षर कर दिये और उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.06.2016 के अनुसार दिनांक 23.06.2016 को नामान्तरण संख्या 1002 दर्ज किया गया है, जो बिना मौके की जांच व अपीलान्ट के बने पुख्ता मकानात को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि मे दर्ज कर दिया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर उक्त विभाजन संख्या 1002 दर्ज हुआ है को मंसुख किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को आदेश दिया जावे कि ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0 की सरहद में भूमि खाता संख्या 215 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टर खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.02 हैक्टर स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टर का दिनांक 23.06.2016 को किया गया विभाजन मंसुख किया जाकर, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के कब्जे व रिहायस के अनुसार पुनः हल्का पटवारी व कर्मचारियो से मौके की जांच कर कब्जे में कम से कम दखल देवे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम भरा जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद नही है। [illegible] आदेश के विरूद्ध अपील की गई है वह आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत पक्षकारान् मे आपसी रजामन्दी एवं मजमेआम मे पारित किया गया है। अपीलान्ट की यह अपील इस न्यायालय मे नियमानुसार दर्ज ही नही की जा सकती है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23.06.2016 को विभाजन प्रस्ताव व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1002 दिनांक 23.06.2016 प्रशासन गांवों के संग अभियान

मे आपसी सहमति के आधार पर भरा गया है। उक्त आदेश की अपील अपीलान्ट इस न्यायालय मे नही कर सकता है। अपीलान्ट द्वारा अपील भी मियाद से बाहर जाकर करीब 6 साल बाद पेश की गई है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई त्रुटि ही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने जिस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.06.2016 एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1002 दिनांक 23.06.2016 के विरूद्व अपील पेश की गई है वे प्रशासन गांवो के संग अभियान मे अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ द्वारा स्वीकृत किये गये है। उक्त आदेश दोनों पक्षकारान् की सहमति के आधार पर ही पारित किये गये है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेशों की जानकारी आदेशों के रोज होने के बावजूद भी उक्त अपील करीब 6 साल बाद पेश की गई है। इसके साथ–साथ तत्समय अपीलान्ट द्वारा विभाजन हेतु अपनी सहमति के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर किये है जिसे अपीलान्ट ने स्वीकार किया है। यदि अपीलान्ट को उक्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति होती तो वह उसी समय अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता था। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested